

6-11/17

पञ्जावली पेश हुई। वकील भीलानन्द को  
दली सजिले मरने के आदेश दि-  
7-4-17 को दिए गये थे। परन्तु वकील भीलानन्द  
द्वारा आज दिनांक 28 सजिले मरने की रजिस्ट्रि  
पेश नहीं की गयी। इस पञ्जावली दली  
के आभाव में खरिज की जाती है। पञ्जावली  
केवल सुमा देकर दाखिल कफर ही आदेश  
दु नाफ गपा

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
सुरतगढ़

6/11/17